



HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 397/2020

Prem Devi Khadoliya W/o Late Shri Mangalchand Khadoliya,
Aged About 61 Years, R/o Plot No. P15, Anandpuri, Moti Dungri
Road, Jaipur Rajasthan

----Appellant

Versus

1. Smt. Puppy Alleged W/o Late Shri Ghanshyam Khadoliya,
R/o Plot No. P15, Anandpuri, Moti Dungri Road, Jaipur
Rajasthan At Present Resident Of 467, New Dhani, Shanti
Nagar, Opposite N.b.c. Jaipur Rajasthan
2. Chuttan Lal Khadoliya S/o Late Shri Mangalchand
Khadoliya, R/o Plot No. P 15, Anandpuri, Moti Dungri
Road, Jaipur Rajasthan
3. Life Insurance Corporation Of India, Ambedkar Circle,
Bhawani Singh Road, Near S.m.s. Stadium, Jaipur
4. Tehsildar, Tehsil Chaksu, District Jaipur

----Respondents

For Appellant(s)	: Mr. Mohammed Anees, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Birbal Sharma, Adv. Mr. Ankit Jangid, Adv. Ms. Aarti Sharma, Adv. Mr. Ribhu Dutta, Adv. Ms. Kavita Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

12/02/2026

अपीलार्थी/विपक्षी सं.-2 (आगे "विपक्षी संख्या 2" कहा जाएगा) द्वारा यह सिविल विविध अपील विद्वान जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वारा दीवानी सिविल (उत्तराधिकार) प्रा.पत्र संख्या 8095/2014 में पारित आदेश दिनांकित **04.10.2019** से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थीया (जिसे आगे "प्रार्थीया" कहा जाएगा) द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम आंशिक रूप से



स्वीकार कर भारतीय जीवन बीमा निगम के यहां जमाशुदा राशि प्रार्थी व अप्रार्थी को आधी-आधी प्राप्त करने का अधिकारी माना गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी व प्रत्यर्थी की बहस सुनी गयी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

सुसंगत तथ्य यह है कि मृतक घनश्याम खडोलिया द्वारा अपने जीवनकाल में भारतीय जीवन बीमा निगम से एक जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त की थी, उसकी मृत्यु के उपरांत 2,02,095/-रूपये ब्याज व बोनस सहित अदा किया जाना था। अपीलार्थी श्रीमती प्रेमदेवी मृतक की माता है तथा पप्पी मूल प्रार्थीया द्वारा मृतक की पत्नी बताते हुए व नॉमिनी होने के आधार पर इस जमाशुदा राशि के संबंध में याचिका विचारण न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि श्रीमती पप्पी मृतक की पत्नी नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में वह कोई दावाकृत राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीमती पप्पी उपरोक्त जीवन बीमा पॉलिसी में नॉमिनी थी, अतः सामान्य रूप से वह इस आधार पर संपूर्ण राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी थी, लेकिन इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा श्रीमती पप्पी व प्रेमदेवी दोनों को आधी-आधी राशि के लिए अधिकारी माना गया है। चूंकि श्रीमती पप्पी द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है, अतः उसके पक्ष में पृथक से कोई अनुतोष प्रदान किया जाना उचित नहीं है, लेकिन श्रीमती प्रेमदेवी के पक्ष में 50 प्रतिशत राशि प्राप्त करने के संबंध में जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है वह पहले से ही उदारता के साथ है, उसमें अब कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

जहां तक श्रीमती पप्पी मृतक की पत्नी है अथवा नहीं, यह मामला धारा 372 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की संक्षिप्त कार्यवाही के दौरान अंतिम रूप से निर्णीत नहीं होता है और इसी अभिमत के साथ अपीलार्थी की यह अपील खारिज होने योग्य है।



परिणामतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.10.2019 की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह सिविल विविध अपील खारिज की जाती है।

स्थगन प्रार्थना पत्र यदि लंबित है, तो वह भी उपरोक्तानुसार खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J